



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112023-249984
CG-DL-E-09112023-249984

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4670]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2023/कार्तिक 18, 1945

No. 4670]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2023/KARTIKA 18, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2023

का.आ. 4870(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 14 और 15 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2023-आईआर (पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th November, 2023

S.O. 4870(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Lead and Zinc Mining Industry, which are covered under items 14 and 15 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Lead and Zinc Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S-11017/1/2023-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.